न्यायालय भूमि सुधार उप– समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 08/2023–24

अनुसूची –14 फॉरम सं0– 563

<table>
<tr><th>आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि</th><th>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>2/10/23</td><td>
आवेदक जोसेफ खड़िया, पिता स्व0 ठेपाई खड़िया, जाति खड़िया, ग्राम कोनबीर, थाना बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नाकिंत विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया।

<u>भूमि का विवरणी</u>
<table>
<tr><th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं0</th><th>खाता सं0</th><th>प्लॉट सं0</th><th>रकबा</th><th>जमीन किस्म</th></tr>
<tr><td>कोनबीर</td><td>129</td><td>42</td><td>634</td><td>0.30 एकड़</td><td>टांड</td></tr>
</table>
कुल 0.30 (तीस डिसमील)

प्लॉट सं0 634 का चौहदी :– उत्तर में – दशरथ सिंह, दक्षिण में – नीज, पुरब में – नहर, पश्चिम में – नीज।

<u>जमीन विकेता का विवरणी</u>

जोसेफ खड़िया, पिता स्व0 ठेपाई खड़िया, जाति खड़िया, ग्राम कोनबीर, थाना बसिया, जिला–गुमला

<u>जमीन केता का विवरणी</u>

मुनिका बेक, पति सोभरन खेश, जाति उरॉव, ग्राम बंगरकेला, थाना बसिया, जिला–गुमला।

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित केता मुनिका बेक, पति सोभरन खेश, जाति उरॉव, ग्राम बंगरकेला, थाना बसिया, जिला– गुमला से राशि 1,00,000 (एक लाख) रूपये पर बिकी करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रूपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिकी कर रहे है। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईश्तेहार निर्गत किया गया।
</td><td></td></tr>
</table>

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि

अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 428 दिनांक 05/09/2023 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति खड़िया एवं उरॉव के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक जोसेफ खड़िया, पिता स्व0 ठेपाई खड़िया, जाति खड़िया, ग्राम कोनबीर, थाना बसिया जिला–गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि 1,00,000 (एक लाख) रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता बसिया (गुमला)	भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता बसिया (गुमला)

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2025.04.19 12:26:26 +05:30
Location: 192.168.1.2